(366)

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-पू6-कि0आ0-50/97- 802 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक- 16.5.2001

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना ।

विषय:- किरासन तेल की कालाबाजारी के रोकथाम के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि राज्य के कुछ जिलों में किरासन तेल तीस रुपये प्रति लीटर की दर से कालाबाजारी में बेचा जा रहा है । पटना, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, छपरा, सिवान, मोतिहारी एवं बेतिया में धड़ल्ले से कालाबाजारी की सूचना है ।

कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को आदेश दें कि वे अपने अधीनस्थ सभी स्थानों पर सघन अभियान के अन्तर्गत छापा मारकर कालाबाजारी में संलग्न वैसे अवांछित व्यक्तियों को पकड़ें एवं उनके विरुद्ध 7 ई0सी0 ऐक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें । किरासनतेल एवं डीजल का जहाँ भी अवैध रूप से भण्डारण मिले उसे जनता में बँटवा दें और इससे प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करा दें । वैसे पदाधिकारी चाहे वे किसी भी स्तर के हों, यदि किरासन तेल की कालाबाजारी में उनकी संलिप्तता हो तो उनके विरुद्ध भी सख्त अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशासन विभाग में भेजवाने का कष्ट किया जाय । कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाय कि किरासन तेल नियंत्रित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सहज रूप में उपलब्ध हो ।

विश्वासभाजन,

आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

टी0एन0पी0/14.5.01/

14/5